

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक: निदे/डीडीसी/2012/

दिनांक:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- फार्मासिस्ट की अनुबंध अवधि बढ़ाये जाने के क्रम में।

निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/डीडीसी/2012/427 दिनांक 13.08.12 द्वारा चयनित फार्मासिस्टों में से कुछ स्थानों पर नियमित फार्मासिस्ट के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण आर एम आर एस के माध्यम से रखे गये संविदा फार्मासिस्टों की सेवा अवधि दिनांक 30.09.12 तक बढ़ाई गई थी। ऐसे दवा वितरण केन्द्रों पर, जहाँ पर अभी तक नियमित फार्मासिस्टों ने कार्यग्रहण नहीं किया है, उन दवा वितरण केन्द्रों पर अनुबंध पर कार्यरत फार्मासिस्टों की सेवा अवधि दिनांक 31.12.12 अथवा नियमित फार्मासिस्टों के कार्यग्रहण करने तक बढ़ाई जाती है।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।
दिनांक: 24-9-12

क्रमांक: निदे/डीडीसी/2012/489

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर एम एस सी, मुख्यालय।
4. निदेशक (एड्स/चिप्र), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
5. वित्तीय सलहाकार, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर